क्रम-संख्या-282

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 22 नवम्बर, 1976

अग्रहायण 1, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4985/सत्रह-वि0-1—162-76

लखनऊ, 22 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 पर दिनांक 19 नवम्बर, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

सिर पर मैला ढोने और घर की सफाई करने के लिए बालकों को रखने का प्रतिषेध करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और लागू होना

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह निम्नलिखित में लागू होगा—

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित प्रत्येक नगर;

(ख) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथा परिभाषित प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी;

(ग) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन गठित प्रत्येक नोटिफाइड एरिया; और

(घ) संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन गठित प्रत्येक टाउन एरिया।

घर का मैला साफ करने या ढोने का प्रतिषेध

2.—(1) कोई व्यक्ति अपने सिर या कूल्हे पर किसी पात्र में न तो मैला ढोयेगा, न तो मैला ढोने के लिये रखा जायगा और न उससे इस प्रकार मैला ढोने की अपेक्षा की जायगी।

(2) किसी व्यक्ति को, जिसकी आयु अट्ठारह वर्ष से अधिक न हो, कोई व्यक्ति घर का मैला साफ करने के लिए नहीं रखेगा।

स्पष्टीकरण.—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिये पद "घर का मैला" साफ करने का तात्पर्य गलीज, कचरा, मैला या अन्य घृणित वस्तु भवन में या भवन से संबंधित संडास, शौचालय, मूत्रालय, मल-कूप से या ऐसी वस्तु के लिये अन्य सामान्य पात्र से हटाने से होगा।

शास्तियां

3.—(1) जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माना से दण्डनीय होगा जो पच्चीस रुपये से कम और दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) कोई न्यायालय उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, सिवाय राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत अधिकारी की शिकायत के, संज्ञान नहीं करेगा।

. . . . . .

No. 4985(2)/XVII-V-1—162-76

Dated Lucknow, November 22, 1976

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Safai Mazdoor Sanrakshan Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 46 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 19, 1976:

THE UTTAR PRADESH SAFAI MAZDOORS PROTECTION ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 46 OF 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to prohibit the carriage of night-soil on head and the employment of children in house scavenging and to provide for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title and application.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Safai Mazdoors Protection Act, 1976.

(2) It shall apply to—

(*a*) every city as defined in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959;

(*b*) every municipality as defined in the United Provinces Municipalities Act, 1916;

(*c*) every notified area constituted under the United Provinces Municipalities Act, 1916; and

(*d*) every town area constituted under the United Provinces Town Areas Act, 1914.

Prohibition of scavenging and carriage of night soil.

2. (1) No person shall carry or be engaged or required to carry night-soil in any receptacle on his head or waist.

(2) No person who is not more than eighteen years of age shall be engaged by any person to take up house scavenging.

Explanation—The expression 'house scavenging' shall, for the purpose of sub-section (2), mean the removal of filth, rubbish, ordure or other offensive matter from privy, latrine, urinal, cesspool or other common receptacle for such matter in or pertaining to a building.

Penalties.

3. (1) Whoever contravenes the provisions of this Act shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees.

(2) No court shall take cognizance of any offence punishable under sub-section (1), except on the complaint of an officer authorised by the State Government by a general or special order in that behalf.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०- ए० पी० 369 सा० (विधायिका) ··1976··750 (मे०)।